

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 332]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2020—श्रावण 6, शक 1942

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2020

विज्ञप्ति

वर्ष 2020-21 के लिए भांग/भांगघोंटा की फुटकर दुकानों का नीलाम

क्रमांक/आब./ठेका/2020/2976.—सर्व साधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में भांग, भांगघोंटा की फुटकर दुकानों के लिए लायसेंस समूहों में अथवा पृथक-पृथक वर्ष 2020-21 अर्थात् दिनांक 01 सितम्बर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा सारणी में दर्शाए अनुसार तिथि एवं स्थानों पर प्रातः 10.30 बजे से नीलाम किए जावेंगे. पर्याप्त बोली प्राप्त न होने पर आवश्यकतानुसार नीलाम/टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे, जो व्यक्ति नीलाम/टेण्डर में भाग लेना चाहे, वे संबंधित नीलाम केन्द्रों पर नियत नीलाम तिथि को उपस्थित होकर नियमानुसार बोली/टेण्डर दे सकते हैं. नीलाम/टेण्डर की शर्तें उपरोक्त मादक पदार्थों की खपत, ड्यूटी दर आदि की जानकारी संबंधित उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर किसी-भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है. नीलाम की शर्तें एवं निर्बन्धन नीलाम के समय नीलाम स्थल पर पढ़कर सुनाये जावेंगे. ठेकों के नीलाम/टेण्डर की कार्यवाही यदि किसी कारणवश सारणी में दर्शाये गये तिथि को पूरी नहीं हुई, तो नीलाम/टेण्डर आमंत्रित करने की कार्यवाही उस जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित तिथि को की जा सकेगी. यह स्पष्ट किया जाता है कि टेण्डर आमंत्रित करने की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा टेण्डर आमंत्रित करने का निर्णय लिये जाने की दशा में ही की जावेगी.

वर्ष 2020-21 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में भांग/भांगघोंटा की फुटकर दुकानों के ठेकों के नीलाम की तिथि एवं नीलाम स्थल का कार्यक्रम

क्रमांक	दिनांक/दिन	जिले का नाम	नीलाम स्थल
1.	दिनांक 17-08-2020	रायपुर	कलेक्टोरेट, रायपुर
2.	सोमवार	दुर्ग	कलेक्टोरेट, दुर्ग
3.		बिलासपुर	कलेक्टोरेट, बिलासपुर

हस्ता./-

(निरंजन दास)
आबकारी आयुक्त.

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

वर्ष 2020-21 के लिए भांग/भांगघोंटा की फुटकर दुकानों का नीलाम/टेण्डर की शर्तें

1/ नीलाम स्थल में प्रवेश एवं प्रवेश के लिए शुल्क :-

नीलाम स्थल में बोली/टेण्डर देने के लिए वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, जो नीलाम में भाग लेने के पात्र होंगे और जिन्होंने शर्त क्रमांक 4 के अनुसार अर्नेष्टमनी जमा कर दी है। नीलाम स्थल पर बोली/टेण्डर देने के प्रयोजन से प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्ति को रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) प्रवेश शुल्क उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी उसे विधिवत् रसीद दी जावेगी तथा दो प्रवेश पत्र दिये जावेंगे— एक उसके स्वयं के उपयोग के लिए तथा एक उसके सहयोगी के लिए। नियमानुसार अर्नेष्टमनी जमा होने व प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर ही संबंधित को नीलाम स्थल में प्रवेश दिया जावेगा। बोली/टेण्डर देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले लाल प्रवेश पत्र पर नीलाम वर्ष, उसका नाम तथा जमा प्रवेश शुल्क अंकित होगा, सहयोगी को दिये जाने वाले श्वेत प्रवेश पत्र पर नीलाम वर्ष एवं सहयोगी का नाम अंकित होगा। प्रवेश पत्र पर उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधीनस्थ अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित होगी। प्रवेशित व्यक्ति प्रवेश पत्र को अपने सीने में बाईं ओर लगायेगा तथा नीलाम स्थल में उपस्थित रहने तक उसे भली भाँति लगाए रखेगा।

2/ व्यक्ति जो नीलाम/टेण्डर में भाग लेने से वर्जित होंगे :-

- (1) नीलाम में ऐसे व्यक्ति बोली लगा सकेंगे, जो आबकारी ठेके/लायसेंस प्राप्त करने के लिए योग्यता रखते हों, निम्नांकित व्यक्ति नीलाम में बोली लगाने अथवा निविदा देने के लिए अयोग्य रहेंगे :-
 - (क) कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।
 - (ख) कोई भी व्यक्ति, जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो। वर्ष 2018-19 की अवधि का अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा उसके ठेके की सम्पूर्ण वर्ष की देय लायसेंस फीस न पटाई गई हो।
 - (ग) कोई भी व्यक्ति, जो पहले कभी लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण नीलाम करने वाले अधिकारी के मत में संतोषजनक न रहा हो।
 - (घ) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की व्यतिक्रमी/काली सूची में हो।
 - (ङ) कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में नीलामकर्ता अधिकारी को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है।
 - (च) कोई भी व्यक्ति, जो स्वतः छत्तीसगढ़ के किसी पड़ोसी राज्य में समीप के क्षेत्र में उसी प्रकार का ठेका लिये हो अथवा ऐसे ठेकेदार का अभिकर्ता हो।
- (2) कोई भी व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 पूर्व में प्रभावशील डेन्जरस ड्रग्स एक्ट, 1930 पूर्व में प्रभावशील छत्तीसगढ़ प्रोहिबिशन एक्ट, 1936 पूर्व में प्रभावशील अफीम अधिनियम, 1878 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रोपिक सबस्टेन्सेज एक्ट, 1985 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति की शर्तों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो अथवा ऐसे अपराधों के लिए किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो, जो उसे नीलाम में बोली/टेण्डर की कार्यवाही करवाने वाले पदाधिकारी के विचार में अनुज्ञप्तियों का

अवांछनीय धारक बना देता है, नीलाम में बोली लगाने के लिए कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी या नीलाम करने वाले अधिकारी की सहमति के बिना अधिकृत नहीं होगा।

टिप्पणी:- बकाया राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका 2 (1) (ख) में उल्लिखित शर्त कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी। काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका 2 (1) (घ) की शर्त कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

3/ (क) सहमति करार पर हस्ताक्षर करना :-

प्रत्येक बोलीदार/निविदादाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होगा कि, वह नीलाम/निविदा की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है :-

वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी ठेकों के नीलाम/निविदा की शर्तों को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार

बोलीदार/निविदादाता की
फोटो हस्ताक्षर दिनांक
सहित उपायुक्त
आबकारी/सहायक आयुक्त
आबकारी के द्वारा प्रमाणित

मैंने (बोली लगाने वाले का नाम) पुत्र.....
(पिता का नाम) निवासी..... (पूरा पता)
व्यवसाय/धन्धे का स्थान..... आयु..... (वर्षों में)
राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाते का क्रमांक व बैंक का
नाम तथा पता बोलीदार/निविदादाता
स्वयं/फर्म/कम्पनी अथवा उसके कोई भागीदार/डायरेक्टर आयकरदाता है, तो यथास्थिति
बोलीदार/निविदादाता स्वयं/फर्म/कम्पनी अथवा उसके भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर/
डायरेक्टरों का/के स्थाई आयकर लेखा क्रमांक आबकारी ठेका वर्ष 2020-21
के लिए नीलाम/निविदा की शर्तें पढ़/सुन ली हैं, तथा/अन्यथा समझ ली है और मैं
नीलाम/निविदा की शर्तों को प्रतिग्रहित करता हूँ। अपनी बोली/निविदा से विचलित होने की
दशा में, मैं अपने द्वारा निक्षेप किये गये अग्रिम धन के समर्पण के लिए करार करता हूँ तथा
स्वयं को आबद्ध करता हूँ कि, ऐसी दशा में पुनः नीलाम/निविदा की कार्यवाही किये जाने की
स्थिति में राज्य शासन को हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम मुझसे भू-राजस्व की बकाया की
भाँति वसूली योग्य होगी।

हस्ताक्षर :

दिनांक :

टीप :- (1) प्रत्येक भांग, भांगघोंटा दुकान अथवा दुकानों के समूह के आबकारी ठेकों के बोलीदार/निविदादाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक उसके द्वारा प्रस्तुत सहमति करार पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सहमति करार भरकर हस्ताक्षर करने के साथ ही बोलीदार/निविदादाता को निम्नांकित प्रारूप में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (2) बोलीदार/निविदादाता यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी है, तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होगा।
- (3) बोलीदार/निविदादाता द्वारा स्वयं अथवा पंजीकृत फर्म/कम्पनी की ओर से बोली/निविदा देने की दशा में बोलीदार/निविदादाता स्वयं अथवा फर्म/कम्पनी के कोई भागीदार/डायरेक्टर यदि आयकरदाता है, तो सम्बन्धित आयकरदाता का स्थाई आयकर खाता क्रमांक भी देना होगा।

श्री को आबकारी ठेकों के उल्लेखित नीलाम/निविदा में उनके द्वारा प्रस्तुत/हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है।

हस्ताक्षर
नीलामकर्ता अधिकारी
दिनांक सहित
कलेक्टर,
जिला

शपथ पत्र

मैं (नाम)..... (पिता का नाम)..... निवासी..... (पूरा पता) शपथपूर्वक सत्य निष्ठा से कथन करता हूँ कि, भाग/भागघोंटा की फुटकर दुकान अथवा दुकानों के ठेकों की नीलामी हेतु बोली लगाने के लिए मेरे द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत सहमति करार पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य/विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त सहमति करार पत्र में उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण का सत्यापन कराये जाने पर किसी भी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर कलेक्टर को बोली/निविदा निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराये गये अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन को राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके सम्बन्ध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर :
दिनांक :

(ख) यदि कोई बोलीदार/निविदादाता किसी पंजीकृत फर्म या कम्पनी की ओर से बोली लगाना अथवा निविदा देना चाहता है, तो बोली लगाने/निविदा देने के पूर्व उसे निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :-

- (1) संबंधित फर्म/कम्पनी का मूल पंजीयन/निगमन का प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- (2) फर्म की डीड ऑफ रजिस्ट्रेशन/कम्पनी का मेमोरेण्डम एण्ड आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल अथवा उसकी अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- (3) सम्बन्धित फर्म/कम्पनी की ओर से नीलाम में भाग लेने हेतु बोलीदार/निविदादाता के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र।

4/ अर्नेस्टमनी जमा करना :-

प्रत्येक बोलीदार/निविदादाता को बोली लगाने/निविदा देने के पूर्व सम्बन्धित भांग/भांगघोंटा दुकान की वर्ष 2018-19 के लिए सम्पूर्ण वर्ष हेतु नीलाम राशि में 10 प्रतिशत की राशि जोड़ने पर आने वाली राशि को वर्ष 2019-20 के लिये आरक्षित मूल्य मानी जावेगी एवं वर्ष 2019-20 के लिये गणना की गई आरक्षित मूल्य में पुनः 10 प्रतिशत की राशि जोड़ कर वर्ष 2020-21 के लिये आरक्षित मूल्य की गणना की जावेगी। वर्ष 2020-21 के लिये गणना की गई आरक्षित मूल्य में वित्तीय वर्ष की शेष रही 07 माह के लिये अनुपातिक आधार पर आरक्षित मूल्य की गणना की जावेगी एवं उक्त 07 माह के अनुपातिक आरक्षित मूल्य के 20 प्रतिशत के बराबर की अर्नेस्टमनी की राशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के कैश ऑर्डर के रूप में जमा करना होगा। इस प्रकार जमा की गई अर्नेस्टमनी के विरुद्ध बोलीदार/निविदादाता 10 गुना राशि की सीमा तक सम्बन्धित दुकानों के समूह/दुकान के लिए बोली/निविदा दे सकेगा। यदि कोई बोलीदार/निविदादाता जमा अर्नेस्टमनी के 10 गुने से अधिक की बोली/निविदा देना चाहता है, तो उसे उतनी अतिरिक्त धनराशि ऐसी अधिक बोली/निविदा देने के पूर्व जमा करनी पड़ेगी, जिससे उसके द्वारा जमा कुल अर्नेस्टमनी की राशि उसके द्वारा दी जाने वाली बोली/निविदा के 1/10 के समतुल्य अथवा इससे अधिक हो जाए। सफल बोलीदार/निविदादाता द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गई राशि नीचे शर्त क्रमांक 8 में उल्लेखित अग्रिम धनराशि के विरुद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी अथवा जमा अर्नेस्टमनी की पूरी राशि को असफल बोलीदार/निविदादाता को उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी के आदेश पर वापस की जावेगी, जिसके लिए उसे रवेन्यू स्टाम्प लगाकर प्राप्ति अभिस्वीकृति देनी होगी।

5/ खिसारे की वसूली तथा अर्नेस्टमनी का राजसात किया जाना :-

उच्चतम बोलीदार/निविदादाता यदि बोली/निविदा की पुष्टि तक अपनी लगाई गई बोली/निविदा पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा बोली/निविदा वापस लेगा या किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा तो, ठेके को पुनः नीलाम करने अथवा टेण्डर द्वारा ठेका देने पर जो खिसारा निकलेगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह उच्चतम बोलीदार/निविदादाता से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली की जावेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी समय नीलाम/निविदा की शर्तों के उल्लंघन पर उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि अथवा यदि अर्नेस्टमनी की राशि का समायोजन शर्त क्रमांक 8 के अनुरूप जमा किये जाने वाले अग्रिम धन के विरुद्ध किया गया है, तो इस प्रकार समायोजित अर्नेस्टमनी की राशि भी उसको कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी। बोलीदार/निविदादाता द्वारा नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या बैंक के कैश ऑर्डर के रूप में जमा की गई अन्य कोई भी राशि खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी।

6/ आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन नीलामी :-

जिन ठेकों की बोली वर्ष 2020-21 के लिए भांग/भांगघोंटा दुकानों की समूह में अथवा पृथक-पृथक नीलामी होने पर अथवा निविदा आमंत्रित करने पर रुपये 2.50 करोड़ (रुपये दो करोड़, प्रचास लाख) से अधिक की होगी, उनके नीलाम/निविदा की कार्यवाही सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ की स्वीकृति के अधीन की जायेगी। ऐसे ठेके के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त को शक्तियाँ होंगी कि, वे नीलाम/निविदा की कार्यवाही की स्वीकृति दें अथवा न दें, तथा इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे ठेकों की नीलाम/निविदा की स्वीकृति आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा दी जाने पर ही नीलाम/निविदा अंतिम मानी जावेगी।

7/ ठेका/ठेकों की अवधि में नीलाम/टेण्डर की शर्तों का प्रभावशील रहना :-

मादक पदार्थों की फुटकर दुकानों के ठेकों की नीलामी/निविदा की ये सभी शर्तें वर्ष 2020-21 के लिए तथा वर्ष 2020-21 के दौरान होने वाले पुनः नीलाम/निविदा की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रभावशील रहेंगी।

8/ अग्रिम धन जमा करना :-

प्रत्येक सफल बोलीदार अथवा निविदादाता को भांग/भांगघोंटा दुकानों के लिए अपनी उच्चतम बोली/निविदा का 1/6 भाग (अर्थात् 02 माह के लायसेंस फीस के समतुल्य राशि) नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के कैश ऑर्डर के रूप में नीलाम/निविदा स्वीकृत होने के तत्काल पश्चात् जमा करना होगा। सफल बोलीदार/निविदादाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि, 1/6 (अर्थात् 02 माह के लायसेंस फीस के समतुल्य राशि) अग्रिम धनराशि के विरुद्ध अथवा जितनी आवश्यक है, उस सीमा तक समायोजन योग्य होगी। यदि उसके द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्टमनी की राशि, 1/6 भाग (अर्थात् 02 माह के लायसेंस फीस के समतुल्य राशि) की राशि से कम होती है तो सफल बोलीदार/निविदादाता को नीलाम/निविदा कार्यवाही समाप्त होने के तत्काल बाद ऐसी अन्तर की राशि को भी नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। भांग/भांगघोंटा की दुकान/दुकानों के नीलाम के मामले में अग्रिम धन की शेष राशि नीलाम/निविदा के तुरंत पश्चात् जमा न करने की दशा में सफल बोलीदार/निविदादाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि कलेक्टर द्वारा राजसात कर ली जावेगी और सम्बन्धित दुकान/दुकानों का ठेका उसके उत्तरदायित्व पर पुनः नीलाम/निविदा द्वारा किया जावेगा। नीलाम/निविदा की पुनः कार्यवाही के फलस्वरूप शासन को हुई समस्त राजस्व हानि की वसूली सम्बन्धित उच्चतम बोलीदार/निविदादाता से भू-राजस्व की बकाया की भाँति की जावेगी। भांग/भांगघोंटा की दुकान/दुकानों के ठेके के लिए जमा 1/6 (अर्थात् 02 माह के लायसेंस फीस के समतुल्य राशि) अग्रिम धनराशि माह फरवरी-मार्च, 2021 की लायसेंस फीस में समायोजित की जावेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सफल बोलीदार/निविदादाता को भांग/भांगघोंटा की दुकान/दुकानों हेतु अपनी उच्चतम बोली/निविदा की राशि के 1/12 भाग (अर्थात् 01 माह के लायसेंस फीस के समतुल्य राशि) के बराबर धनराशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में नीलाम/निविदा स्वीकृत होने के दिनांक से तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, किन्तु सफल बोलीदार/निविदादाता स्वयं चाहे तो उसके द्वारा देय 1/12 भाग (अर्थात् 01 माह के लायसेंस फीस के समतुल्य राशि) की राशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से कलेक्टर के माध्यम से अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति दे सकेगा, जो दिनांक 30 जून, 2021 तक विधिमान्य होगी। इस प्रकार ली जाने वाली उच्चतम बोली के 1/12 भाग (अर्थात् 01 माह के लायसेंस फीस के समतुल्य राशि) की राशि/बैंक गारंटी आदि को लायसेंस शर्तों के उल्लंघन आदि के विरुद्ध जमानत के रूप में रखा जावेगा। दिनांक 30 जून, 2021 तक अथवा इसके पूर्व यह 1/12 भाग (अर्थात् 01 माह के लायसेंस फीस के समतुल्य राशि) की राशि/बैंक गारंटी वापस की जा सकेगी, किन्तु वर्ष के दौरान लायसेंस शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् यदि कोई शास्ति अधिरोपित की जायेगी, अथवा अन्य कोई बंकाया रहने पर उसके समायोजन के उपरान्त शेष राशि वापसी योग्य होगी। बोलीदार/निविदादाता द्वारा जमा की जाने वाली कोई भी राशि चेक द्वारा नहीं ली जावेगी। भांग/भांगघोंटा की दुकान/दुकानों के प्रत्येक सफल बोलीदार/निविदादाता को माह सितम्बर, 2020 की लायसेंस फीस की मासिक किश्त 31 अगस्त, 2020 या उसके पूर्व नगद जमा करना अनिवार्य होगा तथा उक्त मासिक

किश्त जमा होने पर ही उसे लायसेंस दिया जावेगा तथा संबंधित भण्डारण भाण्डागार से भांग का प्रथम निर्गम दिया जा सकेगा।

टिप्पणी :- सफल बोलीदार/निविदादाता का आशय ऐसे बोलीदार/निविदादाता से है, जिसकी बोली/निविदा नीलामी के समय अंतिम की गई हो, चाहे भले ही संबंधित ठेके की नीलामी आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ की स्वीकृति के अधीन की गई हो।

9/ अग्रिम धन का राजसात करना :-

जो ठेके आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन नीलाम होंगे, उन ठेकों का कोई बोलीदार/निविदादाता यदि नीलाम/निविदा की पुष्टि होने तक अपनी बोली पर स्थिर न रहते हुए बोली वापस लेगा अथवा कोई भी बोलीदार किसी प्रकार नीलाम की शर्तों का उल्लंघन करेगा तो उसके द्वारा भांग/भांगघोंटा की दुकान/दुकानों हेतु जमा की गई उच्चतम/अंतिम बोली की 1/6 भाग (अर्थात् 02 माह के लायसेंस फीस के समतुल्य राशि) तथा 1/12 भाग (अर्थात् 01 माह के लायसेंस फीस के समतुल्य राशि) राशि, कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त राजसात की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

10/ अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों का हस्तांतरण :-

वर्ष 2020-21 के लिए भांग/भांगघोंटा की दुकान/दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों की अवधि के दौरान किसी अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों का हस्तांतरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक पाया जावेगा तो उस अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों की अवधि की सम्पूर्ण लायसेंस फीस आदि का भुगतान करने के लिए एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करने के लिए मूल अनुज्ञप्तिधारी (अन्तरणकर्ता) तथा वह व्यक्ति जिसके नाम अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों का वित्तीय वर्ष के मध्य में हस्तांतरण किया जावेगा (अन्तरणग्रहिता), दोनों ही बाध्य रहेंगे।

11/ नीलाम/निविदा की कार्यवाही में न लगाई गई बोली/निविदा को स्वीकार न करना :-

वर्ष 2020-21 के लिए भांग/भांगघोंटा की दुकान/दुकानों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की बोली/निविदा, जिसने नीलाम के समय अथवा पुनः नीलाम यदि हुआ हो तो पुनः नीलाम के समय नीलाम में बोली/निविदा न दिया हो, विचार योग्य नहीं होगी।

12/ पुनर्नीलाम :-

(क) पुनर्नीलाम के लिए वह व्यक्ति ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जो नीलाम के समय, जिसका वह पुनर्नीलाम चाहता है, में उपस्थित रहा हो तथा जो नीलाम में भाग लेने के लिए अपात्र न रहा हो, और कलेक्टर द्वारा जिन दुकानों के समूह/दुकानों की बोली अंतिम की गई हो, ऐसे दुकानों के समूह/दुकानों के लिए उसने बोली लगाई हो।

(ख) पुनर्नीलाम के आवेदन पत्र नीलाम के तीन दिवस के भीतर कलेक्टर को प्रस्तुत किये जावेंगे। तीन दिवस की गणना करने में सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जावेंगे। आवेदक को पुनर्नीलाम के आवेदन पत्र के साथ जिसका वह पुनर्नीलाम चाहता है, में प्राप्त उच्चतम बोली के 1/3 भाग के बराबर राशि जमा करनी होगी। आवेदक की अर्नेष्टमनी यदि कोई जमा है, तो उसको कम करके शेष राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा कर चालान की प्रति अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी उतनी ही राशि का बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक का कैश आर्डर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

- (ग) पुनर्नीलाम के आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जावेगा, जब आवेदक नीलाम में प्राप्त उच्चतम बोली से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक की बोली लगाना चाहता हो। पुनर्नीलाम की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी। यदि कलेक्टर नीलाम स्थल में पुनर्नीलाम की घोषणा करते हैं, तो कम से कम पाँच दिवस पश्चात् की तिथि घोषित करेंगे।
- (घ) पुनर्नीलाम होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता पुनर्नीलाम में सम्मिलित होकर बोली नहीं लगाता है, तो उसके द्वारा जमा की गई 1/3 भाग राशि राजसात कर ली जावेगी। उसे आवेदन पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि, पुनर्नीलाम होने की दशा में वह प्रस्तावित बोली से कम की बोली नहीं लगायेगा और ऐसी बोली लगाने में असफल रहेगा तो उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात हो जावेगी।
- (ङ) किसी ऐसी दुकानों के समूह/दुकान के पुनर्नीलाम, जिसकी नीलाम की स्वीकृति आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन हो, का प्रस्ताव प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त को फैंक्स/दूरभाष/ई-मेल द्वारा तत्काल सूचना दी जावेगी कि, संबंधित दुकान/समूह के पुनर्नीलाम के कारण उक्त ठेका स्वीकृत न किया जावे, और तदुपरांत कलेक्टर पुनर्नीलाम की कार्यवाही करेंगे।
- (च) किसी दुकानों के समूह/दुकान के पुनर्नीलाम के प्रस्ताव का आवेदन पत्र केवल एक ही बार मान्य किया जावेगा।
- (छ) किसी दुकानों के समूह/दुकान के पुनर्नीलाम होने पर भी उसके प्रथम नीलाम के समय जिस बोलीदार द्वारा उच्चतम बोली लगाई गई होगी, वह 15 दिवस तक अपनी उस उच्चतम बोली पर कायम रहने के लिए बाध्य होगा।

13/ ठेका अवधि में पुनर्नीलाम करना :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के मध्य किसी दुकानों के समूह/दुकान का पुनर्नीलाम करने की स्थिति उत्पन्न होने पर कलेक्टर द्वारा संबंधित ठेकेदार को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् कभी-भी पुनर्नीलाम किया जा सकेगा। पुनर्नीलाम हेतु सूचना पत्र पुनर्नीलाम के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम पाँच दिवस पूर्व जारी करना होगा।

14/ वर्ष 2020-21 के लिए ठेकों का नीलाम पूर्ण करना :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए किए गये नीलाम के अंतिम होने के पश्चात् यदि सम्बन्धित बोलीदार द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा कलेक्टर/आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार किसी दुकान/दुकानों के समूह का नीलाम फिर से किया जाना आदेशित किया गया हो और उसके लिए यदि नीलाम के दौरान ही पुनर्नीलाम की तिथि की घोषणा न कर दी गई हो, तो पुनर्नीलाम की सूचना पुनर्नीलाम के दिन से कम से कम पाँच दिवस पूर्व जारी की जावेगी तथा उसके लिए शर्त क्रमांक 15 का पालन किया जावेगा। पुनर्नीलाम की तिथि कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जावेगी। इसी प्रकार यदि दुकानों के किसी समूह/दुकान का किन्हीं भी कारणों से नियत तिथि को नीलाम सम्पन्न/अंतिम नहीं होता है, तो उसके नीलाम हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत कर सकेंगे, जिसकी घोषणा नीलाम स्थल में की जा सकती है।

15/ शर्त क्रमांक 12, 13 व 14 के अधीन निर्धारित पुनर्नीलाम/नीलाम की तिथि की घोषणा यदि नीलाम के दिवस नीलाम स्थल पर ही उस दिन की नीलाम कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है, तो ऐसे पुनर्नीलाम/नीलाम की सूचना, जिसकी अवधि कम से कम पाँच दिवस की होगी, समाचार पत्र में प्रकाशित की जावेगी और सूचना पत्र का प्रकाशन सम्बन्धित जिले के कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार आदि के कार्यालय के सूचना पटल पर सर्व साधारण की जानकारी के लिए किया जावेगा।

16/ आबकारी दुकानों के संचालन की व्यवस्था :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भांग/भांगघोंटा दुकानों के नीलाम/पुनर्नीलाम में यदि किसी दुकानों के समूह/दुकान का उचित मूल्य नहीं आता है अथवा वर्तमान में ठेका व्यवस्था संबंधी जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन पर आबकारी आयुक्त उस दुकान/समूह की दुकानों के संचालन अथवा पुनर्नीलाम की, जैसी भी उचित समझे, व्यवस्था कर सकेंगे।

17/ कलेक्टर द्वारा ऐसी दुकानों के समूह/दुकान, जिसके लिए बोली स्वीकृत करने हेतु वह स्वतः सक्षम हैं तथा ऐसी दुकानों के समूह/दुकान की बोली जिसे स्वीकृत करने हेतु उक्त शर्त क्रमांक 6 के अनुसार आबकारी आयुक्त सक्षम हैं, को अंतिम किये जाने के उपरांत भी शासकीय राजस्व के हित में उन्हें पुनर्नीलाम कराने के आदेश आबकारी आयुक्त दे सकेंगे।

18/ वित्तीय वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य में किन्हीं भी कारणों के फलस्वरूप यदि कोई दुकान/दुकानें बंद की जाती हैं, तो इसके कारण ठेकेदार को शासन द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। इसी प्रकार राज्य की किसी दुकान/दुकानों के पुनर्नीलाम करने का निर्णय लिया जाता है अथवा वर्ष 2020-21 के दौरान यदि शासन कोई नवीन दुकान खोलना आवश्यक समझेगा तो वैसा करने का अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा तथा उस पर किसी ठेकेदार की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट किसी भी आपत्तिकर्ता को देय होगी। यदि ठेका अवधि के दौरान ठेकेदार को किसी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक उपद्रवों, आंदोलनों, कानून व्यवस्था आदि सम्बन्धी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो ठेकेदार को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति की पात्रता शासन द्वारा देय नहीं होगी।

19/ सत्यनिष्ठा संधि (Integrity pact) का पालन किया जाना :-

सत्यनिष्ठा संधि (Integrity pact) की प्रक्रिया में क्रेता एवं विक्रेता द्वारा सत्यनिष्ठा की नीति का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सत्यनिष्ठा संधि का प्रारूप परिशिष्ट (Annexure) में इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देश क्रमांक..... दिनांक के साथ संलग्न है।

20/ वर्ष 2020-21 के लिए भांग/भांगघोंटा की फुटकर दुकानों की सभी अनुज्ञापत्रियाँ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों/संशोधित नियमों एवं समय-समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अधीन रहेंगी।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 2020-21 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में भांग/भांगघोंटा की फुटकर
दुकानों के ठेकों के नीलाम की तिथि एवं नीलाम स्थल का कार्यक्रम

क्रमांक	दिनांक/दिन	जिले का नाम	नीलाम स्थल
1.	दिनांक 17.08.2020 सोमवार	रायपुर	कलेक्टोरेट, रायपुर
2.		दुर्ग	कलेक्टोरेट, दुर्ग
3.		बिलासपुर	कलेक्टोरेट, बिलासपुर